Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 217/2022
Firdosi Begam..Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors..Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद जिला चयन समिति, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.11.2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–24377/2019 में दिनांक–21.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बिहार सरकार के ज्ञापांक–PRA-PDS01/2015/1750, दिनांक–10.03.2016 के माध्यम से बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत जन वितरण की अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आवेदिका द्वारा बैसा प्रखंड के सिरसी पंचायत के लिए सभी वांछित कागजातों के साथ उक्त विज्ञापन के अनुसार दिनांक–15.06.2017 को आवेदन किया गया। संलग्न कागजातों के अनुसार आवेदिका का मैट्रिक का प्राप्तांक 66.80%, इन्टर का प्राप्तांक 66.60% एवं स्नातक का प्राप्तांक 57.26% था। आवेदिका द्वारा अपने आवेदन के साथ कम्प्यूटर डिग्री के रूप में ADCA का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। आवेदनों की छटनी के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रकाशित ऑपबंधिक मेधा सूची में आवेदिका सामान्य वर्ग कोटि में द्वितीय स्थान पर थी। तत्पश्चात दिनांक– 30.11.2018 को जिला चयन समिति द्वारा प्रकाशित अंतिम मेधा सूची में आवेदिका प्रथम स्थान पर तो थी, परन्तु चयन समिति द्वारा इनसे कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी विपक्षी सं0–06 नाहेला प्रवीण का चयन कर लिया गया। चयन समिति के उक्त आदेश से व्यथित होकर	

Web Copy Not Official.

		आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. -	
		क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 02.03.2023	24377/2019 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक – 21.09.2022 के माध्यम से इस न्यायालय में उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इनका आगे कथन है कि जिला चयन समिति द्वारा पारित आदेश तथ्यों से परे, अवैध एवं क्षेत्राधिकार से परे है। चयन समिति द्वारा एक अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन न कर एक कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन अवैध तरीके से कर लिया जाना विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। जिला चयन समिति द्वारा इनके आवेदन को अपूर्ण बताते हुए चयन को अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा आपूर्ति अपील सं0–03/2019 (मेहरबान बनाम राज्य एवं अन्य) में मेहरबान के पक्ष में आदेश पारित किया गया, जबकि उसका आवेदन भी अपूर्ण था। उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत कर संबंधित अनुज्ञप्ति हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–06 नाहेला प्रवीण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। संबंधित जन वितरण प्रणाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार बैसा प्रखंड के सिरसी पंचायत के लिए इनके साथ अन्य छः अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तदुपरांत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदनों की जॉँच की गई, जिसमें आवेदिका फिरदौसी बेगम के आवेदन को त्रुटिपूर्ण पाये जाने के उपरांत उनके द्वारा सुधार हेतु सूचना निर्गत की गई, परन्तु आवेदिका द्वारा आवेदन में सुधार नहीं की गई। इसके बाद चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें आवेदिका के आवेदन को अपूर्ण पाते हुए अस्वीकृत किया गया तथा इनको योग्यता के आधार पर पंचायत सिरसी के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए चयनित किया गया। इनके द्वारा सभी अर्हता को पूर्ण करते हुए चयन समिति द्वारा इनका चयन किया गया जो पूर्णतः वैध है।	

Web Copy. Not Official.

		इस प्रकार इनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद को खारित करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	02.03.2023	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी एवं जिला अपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा क्रमशः पत्रांक–35, दिनांक–04.02.2023 एवं पत्रांक–291, दिनांक–13.02.2023 द्वारा समर्पित मंतव्य में अंकित किया है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के आलोक में नई अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति की बैठक में दिनांक–30.11.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती नाहेला प्रवीण, पति– मो0 अनवर आलम, ग्राम–सिरसी को अनुज्ञप्ति सं0–26/2018 निर्गत किया गया। नई जन वितरण प्रणाली की दुकान हेतु प्राप्त आवेदनों की तुलनात्मक विवरणी रोस्टर बिन्दु के अनुसार तैयार करने के उपरांत चयन समिति के द्वारा फिरदौसी बेगम, पति–दानिश करीम, ग्राम–सिरसी, प्रखंड–बैसा का आवेदन तुलनात्मक विवरणी के अनुसार अभ्युक्ति कॉलम में आवेदन अपूर्ण तथा आपत्ति अस्वीकृत रहने के कारण चयन समिति के द्वारा इन्हें चयनित नहीं किया गया। उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदन अपूर्ण रहने तथा आपत्ति अस्वीकृत होने के कारण चयन समिति द्वारा इनके अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार चयन समिति के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy . Not Official.